



## कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-728/ 155।

रायपुर, दिनांक 23/05/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी

कटघोरा वन मंडल, कटघोरा

छत्तीसगढ़

- विषय:**
- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed diversion of forest land for village Shyahimundi Block-Katghora, District Korba, CG. Reg.**
  - **Registration No. FP/CG/SCH/33063/2018**
- संदर्भ:**
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/ 852 दिनांक 10.05.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्न कमियां पाई गई हैं:-

1. मुख्य वन संरक्षण, बिलासपुर वृत्त द्वारा प्रेषित 27 बिन्दु के चेक लिस्ट में मुख्य वन संरक्षक का हस्ताक्षर नहीं है।
2. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र पृष्ठ क्रमांक 26 में वृक्षों की संख्या निरंक लेख किया गया है परन्तु वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण एवं आन लाईन 25 वृक्षों की संख्या प्रदर्शित हो रही है।
3. मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा फार्म-ए पार्ट-3 अपलोड नहीं किया गया है एवं Recommendation Letter ही अपलोड किया गया है।
4. कलेक्टर कार्यालय द्वारा एफ.आर.ए अपलोड नहीं किया गया है।
5. आवेदित क्षेत्र का ले आउट प्लान संलग्न नहीं है।

उक्त कमियों के कारण प्रस्ताव पर विचार किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतएव उपरोक्त बिन्दुओं की पूर्ति कर तत्काल अवगत करावें ताकि प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही किया जा सके।

प्र०  
23/5  
(एस. एस. बजाज)  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ.)  
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-728/ 156।  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, जिला कोरबा

प्र०  
23/5  
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ.)  
छत्तीसगढ़